

# उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

ई-मेल : [hajcommittee.up@gmail.com](mailto:hajcommittee.up@gmail.com), [shcuplko@rediffmail.com](mailto:shcuplko@rediffmail.com)

वेबसाइट: [hajcommittee.up.gov.in](http://hajcommittee.up.gov.in)

पत्रांक : जी-11/282/एस०एच०सी/2026

दिनांक : ०५.०७.२०२६

## -:प्रेस विज्ञापित :-

हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई ने सर्कुलर-42 दिनांक 03 जुलाई, 2026 जारी किया है जिसमें हज-2026 के हज यात्रियों को सर्कुलर-39 दिनांक 28 अप्रैल, 2026 के क्रम में तत्समय मध्य पूर्व में संकट से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हवाई किराये में संशोधन करते हुए प्रत्येक हज यात्री को अंतर राशि रु 10.00 हजार (रुपए दस हजार) 15 मई, 2026 तक जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

हज-2026 की वापसी उड़ानें अब समाप्त हो चुकी हैं, परन्तु अभी तक बहुत से हज यात्रियों द्वारा हवाई किराये की शेष धनराशि जमा नहीं की गयी है। ऐसे हज यात्रियों से जिन्होंने अभी तक हवाई किराये की शेष धनराशि जमा नहीं की है उनको निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक दशा में 13 जुलाई, 2026 तक शेष धनराशि निर्धारित पे-इन-स्लिप पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया या यूनियन बैंक आफ इण्डिया में हज कमेटी आफ इण्डिया के बैंक खाते में अपना बैंक रेफरेंस नम्बर अंकित करते हुए जमा करा दें। बैंक रेफरेंस नम्बर हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट [hajcommittee.gov.in](http://hajcommittee.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

Digitally signed by

MOHD TARIQ

Date: 04-07-2026

14:37:30  
(मोहम्मद तारिक)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. मा० सदस्यगण, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
6. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त स्टेट हज इंस्पेक्टर / समस्त ट्रेनर, उ०प्र०।
10. समस्त ट्रेनिंग सेन्टर/ई-सुविधा केन्द्र, उ०प्र०
11. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

(मोहम्मद तारिक)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी